

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267429
SG-DL-E-07112025-267429असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 302
No. 325]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 302

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला और बाल विकास विभाग
शुद्धिपत्र अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2025

फा. No. 61(1994)/पॉक्सो न्यायालय अधिसूचना/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2023-24/12578-608.—
फा. 61(1994)/पॉक्सो न्यायालय अधिसूचना/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2023-24/6926-59 dated 31.07.2023
की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, उल्लिखित नामित न्यायालय किसी भी वर्तमान/पूर्व सांसद तथा किसी भी
वर्तमान/पूर्व विधायक के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में
तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 के प्रावधान के तहत भी मामलों की सुनवाई और
विचारण करेगा।

शब्द “पी.सी. अधिनियम” को “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम” के रूप में पढ़ा जाए तथा शब्द “सी.बी.आई.” को
“केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो” के रूप में पढ़ा जाए और शब्द “पॉक्सो अधिनियम” को “बालकों को यौन अपराधों से संरक्षण
अधिनियम” के रूप में पढ़ा जाए।

उपरोक्त दिनांक 31.07.2023 की अधिसूचना की शेष सभी विषयवस्तु यथावत रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. रश्मि सिंह, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
CORRIGENDUM NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2025

F. No. 61(1994)/POCSO Court Notification/DD (CPU)/DWCD/2023-24/12578-608.—In partial modification of the Notification No. F. No. 61(1994)/POCSO Court Notification/DD(CPU)/DWCD/2023-24/6926-59 dated 31.07.2023, the designated court mentioned in the said notification shall also try and hear the cases against any Sitting/Ex-Member of Parliament and any Sitting/Ex-Member of Legislative Assembly in relation to commission of any offence under the Commission for Protection of Child Rights Act, and by virtue of provision of Section 28 of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012.

Further, the word “PC Act” may be read as “*The Prevention of Corruption Act*” and word “CBI” may be read as “*Central Bureau of Investigation*” and word “POCSO Act” may be read as “*The Protection of Children from Sexual Offences Act*”

The rest of the content of the above said notification dated-31.07.2023 shall remain the same.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Secy.